**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर** **दिनांक – 20.04.2025**

## शासन द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा सत्यापन अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण।

उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा सत्यापन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा नगर बिजनौर में ई-रिक्शा सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें दिनांक 20.04.2025 को 130 ई-रिक्शाओं को लाकर पुलिस लाइन परिसर में खड़ा किया गया।

जांच में 12 ई-रिक्शाएं अपंजीकृत पायी गयी। मौके पर उनके द्वारा 01 सप्ताह का समय मांगे जाने पर सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया कि सभी अपंजीकृत ई-रिक्शा स्वामी अपने-अपने ई-रिक्शा का पंजीकरण वाहन विक्रेता डीलर के माध्यम से 01 सप्ताह के अन्दर करवा लें। यदि भविष्य में अपंजीकृत ई-रिक्शा सडक पर चलती हुई पायी जाती है तो ई-रिक्शा को सीज कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

51 ई-रिक्शाओं पर वाहन चालक की पहचान प्लेट बनवाये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की कार्यवाही की गयी तथा 62 ई-रिक्शाओं पर यूनिक नंबर लगाये गये। जिन ई-रिक्शाओं का पंजीकरण नही हो सकता है ऐसी 02 ई-रिक्शाओं को मौके पर ही सीज किया गया।

# जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद दिनांक 20.04.2025**

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 128/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।**

## संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.04.2025 को वादी कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 वेदप्रकाश निवासी ग्राम जालबपुर गुदड उर्फ खिदरीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 15.04.2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल नं0 UP20 AR1428 घर के पास से चोरी कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 128/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खिदरीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

## कार्यवाहीः-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खिदरीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल नं0- UP20AR1428 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खिदरीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

## बरामदगी-

चोरी की गयी मोटरसाईकिल नं0- UP20 AR1428

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 श्री ईलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 मौ0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.हे0का0 459 प्रवीण थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.का0 1971 हरिओम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर                दिनांक – 20.04.2025

**महिला से छिनैती की घटना का अनावरण, 03 अभियुक्तगण छीने गये मोबाइल फोन, पर्स, नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एव 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 17.04.2025 को वादी श्री चेतन सिंह पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम बढापुर सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी अपनी पत्नी काजल के साथ स्कूटी से अपने घर नजीबाबाद जा रहा था कि ग्राम मोजीपुर धर्मा भट्टे के पास स्पलेन्डर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने पीछे से आकर वादी की पत्नी का पर्स छीनकर भाग गये, जिसमें मोबाइल फोन, ₹ 10,000 /- व आईडी थी। इस दौरान वादी की स्कूटी भी फिसलकर गिर गयी तथा टूट गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 83/2025 धारा 304(2)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में 04 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिनमें से पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1.विशाल पुत्र लल्लू सिह निवासी ग्राम गुजरपुरा जसराम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.निखिल पुत्र राजीव निवासी ग्राम बैबलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.सागर पुत्र राकेश निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को छीने गये मोबाइल फोन, पर्स, नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एवं 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्त अमन पुत्र चेतराम निवासी ग्राम मिलक गंगौडा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण –**

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होने अपने चौथे साथी अमन के साथ मिलकर दिनांक 17.04.2025 को कुम्हेडा रोड पर स्कूटी पर जा रहे दम्पति का मोटरसाइकिल से पीछा कर मोजीपुर भट्टे के पास स्कूटी पर पीछे बैठी महिला से पर्स छीन लिया था, जिसमें उन्हे 10,000 /- रुपये, एक आधार कार्ड की छायाप्रति व एक लाल रंग का ओप्पो का मोबाइल मिला था, रुपयों को आपस में बाँट लिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.विशाल पुत्र लल्लू सिह निवासी ग्राम गुजरपुरा जसराम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.निखिल पुत्र राजीव निवासी ग्राम बैबलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.सागर पुत्र राकेश निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

**वांछित अभियुक्त का नाम व पता –**

अमन पुत्र चेतराम निवासी ग्राम मिलक गंगौडा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी (रंग लाल)

एक लेडीज पर्स

आधार कार्ड की छायाप्रति

छीने गये 6590 /- रुपये

**घटना में प्रयुक्त –**

02 मोबाइल फोन (एक रेडमी व एक रियलमी)

एक मोटर साईकिल (बिना नम्बर प्लेट)

**अभियुक्त निखिल का पूर्व आपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0सं0 360/2023 धारा 366 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 511/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 109(1), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 3(5), 333, 352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5. हे0कां0 618 सन्नीराज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
6. हे0कां0 270 अनुराग थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7. कां0 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
8. कां0 2138 गौरव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर